Volume: 4 Issue: 5 Pages: 164-166

संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का व्यवहार में संतुलित करना

*[1] डॉ. प्रमोद सिंह

*[1] एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, टी० एन० पी० जी० कालेज, टाण्डा, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 15/April/2025
Accepted: 25/May/2025

***Corresponding Author**
डॉ. प्रमोद सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, टी० एन० पी० जी० कालेज, टाण्डा, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश:
विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक प्रावधानों में नागरिकों और व्यक्तियों के सम्पूर्ण विकास के लिए संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता से पहले औपनिवेशिक शासन पहले भारत के लोगों के साथ किया गया दुर्यव्यहार, शोषण और भारत में जाति व्यवस्था के अन्तर्गत समाहित भेदभाव और स्वतंत्रता काल में होने वाले धार्मिक, सम्प्रदायिक उथल पुथल न मानवीय प्रतिष्ठा और गरिमा को तितर-बितर कर दिया था। सभी व्यक्ति एक-दूसरे को अविश्वास की निगाह से देखने लगे थे और ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओ के सम्मुख देश की एकता अखण्डता, मानवीय गरीमा को बनाये रखना और सभी लोगों में विश्वास बनाने जैसी चुनौतिया थी। इस चुनौती को मंजूर करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक अधिकारो का प्रबन्ध किया 1.संविधान के भाग -3 में अनुच्छेद 12-35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। जो नागरिको के उत्पान में अहम योगदान दिया है। आरम्भ में संविधान में नागरिको को के लिए मूल कर्तव्यों का प्रबन्दा नहीं था, परन्तु समय के साथ समाज में असामाजिक और देश अविरोधी तत्वों में बढ़ोत्तरी हुई, नतीजन ऐसी गतिविधियो के प्रति नागरिको को सचेत करने और कर्तव्य की भावना जगाने व प्रसार के लिए सन 1976 में संविधान के भाग-4क में अनुच्छेद 51क' के अन्तर्गत मूल कर्तव्यो का प्रबन्ध किया गया है। 2. हाल ही में नई दिल्ली में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन-2020 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मूल कर्तव्यो पर सभी का ध्यान खिंचा और इसे केन्द्रीय धारा में ला दिया है।

मुख्य शब्द: मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, विशेषता व महत्व, प्रासंगिकता, आलोचाना

प्रस्तावना:

वह अधिकार जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मौलिक और आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिको को प्रदान किया जाता है और जिसमे राज्य द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता. मूल अधिकार है अधिकार मनुष्य के जरूरी और औचित्यपूर्ण आवश्यकताएं है जिसके बिना वह समाज में न तो पूरा पूरा लाभ ले सकता है और न ही वह समाज के लिए हितकारी हो सकता है, सभी व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व' के लिए कुछ मांगे है जिसे अधिकार कहा गया है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार आवश्यक है, जिसके बिना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का उचित विकास सम्भव नहीं हो सकता है, अधिकारो के सन्दर्भ में लास्की ने कहा द "अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्ते है जिसके बिना कोई व्यक्ति सामान्यतः अपने उत्तम का प्रदर्शन नहीं कर सकता है" इसी सन्दर्भ में हाबहाउस ने कहा - "अधिकार नही है जैसा कि हम अन्य से अपने प्रति आशा करते हैं और अन्य हमसे आशा करते हैंद्य" राल्स ने कहा - "उदारवादी लोकतंत्रों के सभी नागरिक समान बुनियादी स्वतंत्रताओं की एक पूर्ण और व्यापक योजना के हकदार है" इसी प्रकार 1776 के बाद से स्वतंत्रता की घोषणा में जेफरसन ने कहा कि "सभी मनुष्य समान बनाये गये हैं" अतः इस प्रकार वक्तव्यों से ज्ञात होता है कि अधिकार मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है।

भारतीय संविधान द्वारा नागरिको का मूल अधिकार प्रदान किया गया है, इसे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का समग्र विकास ख् भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, हो सकता है। सबसे पहले फ्रांस द्वारा अपने नागरिको को मौलिक अधिकार दिया गया है लेकिन अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दिया गया है, और भारत ने मौलिक अधिकार सम्बन्धी प्रवधान अमेरिका से लिया।

भारत में मूल अधिकारी की इच्छा सबसे पहले 'स्वराज विधेयक' 1895 के माध्यम से व्यक्त किया गया, लेकिन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कहा गया कि 'स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान में गौलिक अधिकारो की गारन्टी होनी चाहिए जिसे कैबिनेट मिशन (1946) ने स्वीकार कर लिया। मूल अधिकारों को संविधान में 'मूल अधिकार' शीर्षक से सम्मिलित करने की सिफारिश मोतीलाल नेहरू समिति ने की।

22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' को ग्रहण किया और उसके बाद संविधान सभा में अल्पसंख्यको को मौलिक अधिकारी तथा कबाइली क्षेत्रो में जांच के लिए रिपोर्ट देने के लिए 'सलाहकार समिति' 27 फरवरी 1947 की नियुक्ति किया गया। संविधान सभा ने मूल अधिकारों में निर्णय लेने में 38 दिन लगाये और अंतिम में संविधान सभा ने मूल अधिकारो को सात प्रकारों में स्वीकार किया। अतः अब नागरिको को कुल छः मूल अधिकार प्राप्त है, किया। सम्पत्ति का अधिकार अनु० 300 'क' में कानूनी अधिकार है।

मूल अधिकार

मूल अधिकारो से अभिप्राय राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शो के प्रगति से है। यह अधिकार देश में प्रबंध रखने के साथ राज्य के कठोर नियमो के विरुद्ध नागरिको को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, यह विधानमण्डल द्वारा पारित कानून के संचालन पर तानाशाही को सीमित करते हैं। इसके प्रावधानों का अभिप्राय कानून का शासन बनाये रखना न कि व्यक्तियों का । संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव किए प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल अधिकार की गारन्टी दी गई है, और सभी व्यक्तियों के लिए समानता, समता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को व्यवस्थित किया गया है।

संविधान में वर्णित मूल अधिकार

- समता का अधिकार (अनु०14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनु०19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु०23-24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु०25-28)
- संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु०29-30)
- संवैधानिक उपचारो का अधिकार (अनु०32)

मौलिक अधिकार की विशेषताएं

- मौलिक अधिकार वाद योग्य है और राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का उचित निर्धारण न्यायालय करता है
- यह सरकार के एक तरफा सुनवाई के खिलाफ है हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियो के खिलाफ है।
- मौलिक अधिकार कुछ नकारात्मक विशेषताओं को इंगित करते है जैसे राज्य के प्राधिकारी को सीमित करना और साथ ही कुछ सकारात्मक होते हैं जैसे कि व्यक्तियो को विशेष सुविधा प्रदान करना।
- यह अधिकार स्थायी नहीं है, संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कमी कर सकती है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनु० 20, 21) को छोड़कर निलम्बित किया जा सकता है।
- यह अल्पसंख्यक एवं समाज के सबसे कमजोर वर्गो के हितो की रक्षा करता है।

आलोचनात्मक बिन्दु

- मौलिक अधिकार अनगिनत अपवादो, प्रतिक्यो एवं व्याख्याओ का सब्जेक्ट है।
- इस अधिकार में राजनीतिक अधिकारो का चर्चा किया गया है, सामाजिक, आर्थिक अधिकारी का सीमित रूप है क्योकि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार - काम पाने का अधिकार अवकाश एवं सुविधा का अधिकार जैसे उपलब्ध शामिल नही किया गया है।
- मौलिक अधिकारी की व्याख्या अस्पष्ट और अनिश्चित है जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रबंध आदि ।
- मौलिक अधिकारो में अस्थिरता है क्योंकि संसद इसमे कमी कर सकती है।
- आलोचको का कहना है कि यह अपने मूल भावना से दूर है और राज्य को मनमानी करने की शक्तिप्रदान करता है।
- मूल अधिकारों के संचालन में आम जनता को महगी न्यायिक प्रक्रियाओ का सामना करना पड़ता है।

मौलिक कर्तव्य

कर्तव्य से तात्पर्य उन कार्यों से होता है जिसे करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से दृढ संकल्प होता है, इस शब्द का अर्थ इससे लगाते है कि व्यक्ति किसी काम को अपनी इच्छा अनुसार से हैं, सिर्फ बाहरी दबाव के कारण नही करता है बल्कि आन्तरिक नैतिकता के प्रभाव में करता है। अतः कर्तव्य के पार्श्व में उद्देश्य के प्रेरणा से है।

कर्तव्य मनुष्य के किसी कार्य को करने या न करने के उत्तरदायित्व के लिए दूसरा शब्द है। मौलिक कर्तव्य राज्य और नागरिको के बीच एक सामाजिक जोड़ है जिसे किसी संविधान के द्वारा वैधता प्राप्त होती है। अधिकारो के सम्मान यह भी आवश्यक कि सभी व्यक्ति समाज और राज्य के प्रति अपने दायित्वो को निभाने में ईमानदार रहें। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' ने राज्यो के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है।

मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में नहीं या स्वर्ण सिंह समिति के सिकारिशों पर 42 वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था। मूलरूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी लेकिन 86वें संविधान संशोधन (२००२) द्वारा इनकी संख्या 11 हो गई है। मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग -4-क में शामिल किया गया है यह रूस के संविधान से लिया गया है ।

मौलिक कर्तव्य

- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओ राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
- भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें।
- देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
- भारत के सभी लोगो में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओ का त्याग करें जो स्त्रियो के सम्मान के विरुद्ध हो।
- हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे।
- प्राकृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं की रक्षा करे और संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे।
- वैज्ञानिक मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 4 सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियो के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निस्तर बढ़ते हुए उपलब्धता की नई ऊँचाइयों को छू लें।
- 6-19 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चो को शिक्षा के अधिकार व अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम (२००२) द्वारा जोड़ा गया।

मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं

- मूल कर्तव्यों में नैतिक और नागरिक दोनो प्रकार के कर्तव्य शामिल हैं जैसे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को संदर्भित महान आदर्श को पालन करना एक मोरल ड्यूटी है जबकि संविधान का पालन उसके आदर्शों, संस्थाओ राष्ट्रध्वजो, राष्ट्रगान आदि का पालन नागरिक कर्तव्य में शामिल है।

- यह मूल्य भारतीय परम्परा, पौराणिक कथाओ, धर्म एवं रिवाजो से जुड़े हुए हैं।
- ध्यान देने योग्य बात है कि मूल अधिकार भारतीय नागरिको के साथ - साथ विदेशी नागरिको को प्राप्त है लेकिन मूल कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिको के लिए है।
- मूल कर्तव्य वाद योग्य नही है और गैर प्रवर्तनीय है। इसके उल्लघन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नही लागू किया जाता है है।

मौलिक कर्तव्यो का महत्व

- यह असामाजिक कार्यों जैसे झण्डा जलाना, सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुचाना या सार्वजनिक शांति भंग करना आदि के विरुद्ध नागरिको के लिए जागरूकता के रूप में कार्य करता है।
- मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए एक विचार है जो उनमे अनुशासन बनाये रखता है, वह इस विचार से उद्भव होते हैं कि अब नागरिक सिर्फ एक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सक्रिय है।
- अपने अधिकारों का प्रयोग के समय नागरिको को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते है, शाक्त को अपने देश, समाज और (दोस्तों) सगे-सम्बन्धी नागरिको के प्रति कर्तव्यों से सम्बन्धित जानकारी रखते है।

मौलिक कर्तव्य के आलोचनात्मक बिन्दु

- मूल कर्तव्यो की सूची पूर्ण नही है क्योकि इसमें कुछ अन्य आवश्यक विषय जैसे मतदान, कर अदायगी और परिवार नियोजन शामिल नही किया गया है।
- मूल कर्तव्य को सही मायने में परिभाषित नही किया गया है । एक आम व्यक्ति के लिए मूल कर्तव्य में शामिल कठिन शब्द जैसे समग्र संस्कृति, उच्च आदर्श, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना कठिन है।
- मौलिक कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है इसीलिए आलोचक मानते है कि संविधान में इसे होने से कोई फायदा नहीं है।
- संविधान के भाग चार क में इसे शामिल किया गया है जो मौलिक कर्तव्यों के महत्व को कम करती है इसे भाग तीन के बाद जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये मौलिक अधिकारो के समक्ष रहे।

मौलिक अधिकारी और कर्तव्यों का व्यवहार में संतुलन

- जहा एक तरफ नागरिको को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल का अधिकार प्राप्त है वही दूसरी तरफ उनके अच्छे रख - रखाव का कर्तव्य भी स्थापित है।
- यद्यपि संविधान में शांति रूप से विरोध प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है तो वही सार्वजनिक सम्पति को नुकसान न करने के कर्तव्य का उल्लेख है।
- संविधान में गरिमामयी जीवन का अधिकार है तो कर्तव्य में पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व भी है जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है जैसे - शुद्ध जल, हवा ।
- 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त का मौलिक अधिकार है तो वहीं संरक्षको का कर्तव्य भी है कि वह अपने बच्चो को मौलिक प्राथमिक शिक्षा दिलवायें ।
- मौलिक अधिकारो में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है तो, भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को बनाये रखना भी कर्तव्य है।
- संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो वही कर्तव्य में सभी धर्मो के प्रति सद्भाव और संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की रक्षा भी शामिल है।
- जहां एक तरफ सूचना पाने का अधिकार है तो वही दूसरी तरफ समाज विरोधी व देश विरोधी तत्वों के बारे में पांच एजेंसियो को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है।

निष्कर्ष:

अधिकारो से अभिप्राय है कि मानव को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जबकि कर्तव्यों से अभिप्राय 'व्यक्ति पर समाज के कुछ कर्ज हैं।' समाज का लक्ष्य किसी एक व्यक्ति का विकास करना नही होता है। बल्कि सभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए सभी व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े है जिसे पूरा करने के लिए सभी व्यक्तियो को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, मौलिक अधिकार जहां हमें स्वतंत्र रूप से घूमने, रहने, निवास की स्वतंत्रता देता है तो वही मूल कर्तव्य हमारे देश के प्रति उत्तरदायित्वों के निर्वहन की बात करता है। बिजी इमोनमूल बनाम केरल राज्य (1987) के निर्णय में कोर्ट ने कहा राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नही किया जा सकता है लेकिन इसका उचित सम्मान करना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची:

1. डॉ. जय जय राम उपाध्यय भारत का संविधान पृष्ठ संख्या 24-25(बेयर एक्ट)
2. डां अल्पना पारीक भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था पृष्ठ सं0-114-122.
3. लास्की-लिबर्टी इन मॉर्न स्टेट पेज नं0-11
4. डॉ.0 एस0पी0 साठे-जवाहर लाल नेहरू तथा मौलिक अधिकारः संसदीय पत्रिका पृष्ठ-101,130
5. जी0एन0जोशी-कान्सटीटयूशन ऑफ इण्डिया पेज नं0-112
6. दी लीडरः कान्सटीटयूशनल सप्लीमेन्ट्री-1950
7. इण्डिया एक्सप्रेस-4 फरवरी 1997
8. वोलैण्ड-ज्यूरिसप्रूडेन्स पेज नं0-61,62
9. बोसांके-द फिलोसफिकल थ्यूरी ऑफ स्टेट पेज नं0-191

स्रोत:

https://hi.m.wikipedia.org.
https://ncertnic in.
https://www.cambridge.org.
https://nios.ac.in
https://www.century law firm.In.
https:// www.Jansatta.com
https://acdem.oup.com (oxford & Academic)